भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)

केंद्रीय कमेटी

प्रेस विज्ञप्ति

18 जुलाइ 2022

नया वन संरक्षण नियम के प्रति विरोध करे!

पर्यावरण, वन और मौसम बदलाव मंत्रालय ने 28 जुन को बनाये नऐ वन संरक्षण नियम को भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की केंद्रीय कमेटी दृढ़ता से खड़णन कर्ती है। वन संरक्षण कानून 1980 को अमल करने के लिए बनाये यह नियम में संशोधण किया हैं। जो कोई भी संवैधनिक औपचारिकताओं को यह कानून पालन ना करके उस में संशोधण किया हैं।

यह नया नियम फलस्वरूप से सारे अधिकारों और कानून जो मूलनिवासी जनता के हित के लिए संवैधानिक अधिकार को उल्लंघन करती हैं, यहा तक की यह नया कानून ग्राम सभा के अधिकारों को भी उल्लंघन कर्ती है। जो कि पेसा कानून 1996 और वन अधिकार कानून 2006 से प्राप्त होती हैं विस्तार रूप से अतिक्रमण करती है। यह नियम साम्राज्यवाद और दलाल नैकारशाही पूंजीपत्ती कम्पनी जैसे अडानी, अंबानी को वन क्षेत्र में खनिज, खदान और अन्य परियोजनाओं को बगैर दिक्कत से सरकारी अनुमति प्राप्त हो सक्ता हैं।

वर्तमान नियम वन अधिकर कानून 2006 का उल्लंघन करती हैं, और इस के तहत उन सारे अधिकारों जो आदिवासी किसान और उन कि खेति जमीन जो 75 साल से उन कों प्राप्त हैं, उन से छीना जा रहा है। यह नया नियम उच्छ न्यायालय का निर्णय को भी उल्लंघन कर्ती है। उच्छ न्यायालय ने अपने 2013 के निर्णय में स्पष्ट रूप से यह कहा था कि जगंल, जमीन को उपयोग करने के लिए ग्राम संभा का निर्णय अनिवार्य हैं।

केंद्र सरकार कां यह प्राधिकार था जो खासकर घटित फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी 5 हेक्टर से अधिक वन जमिन पर गैर वन कार्यक्रम को अनुमति देता हैं। 2009 के बाद पर्यावरण मंत्रालय ने अपने निर्णय में यह कहा था कि, एडवाइजरी कमेटी कोई भी प्रस्ताव कों लागु करने से पहले राज्य सरकार को सारे बिषय में स्पष्टता और ग्राम सभा का सहमति अनिवार्य हैं। बाद में मंत्रालय ने अधिक तादाद में आदेश पारित किये, जो ग्राम संभा के अधिकारों को प्रतिकुल साबित हुआ।

नया नियम के अनुसार जो कि 2003 के मौलिक नियम के खिलाफ हैं, यह वर्णन करता हैं फारेस्ट एडवाइजरी कमेटी कोई भी परियोजनाओं को अनुमोदन देते हुये, राज्य सरकार को अन्य प्रक्रिया को पुरा करने का अनुमति देता हैं। इस का मतलब यह हैं की स्थानीय सरकार अधिकारियों कों संपूर्ण रूप से कोई भी परियोजनाओं को अनुमोदन देने का अधिकार हैं। 2019 के पहले छ महिनों मे 240 परियोजनाओं में से 193 को सिफारिष दी। इस के तहत 9,220.64 हेक्टर वन जमीन का भू अधिग्रहण होगा, रेल लाईन, खनिज, खदान, बुनियादी सुविधा, सिंचाई और जल विध्युत के लिये। यह प्रकाशित करता हैं की सरकार मूलनिवासी जनता के अधिकारों का उल्लंघन करती आ रही हैं। जिस को अब एक औपचारिक रूप मिल चुका हैं।

यह वन संरक्षण नियम हिन्दुत्वा ऐजेण्ड़ा का भाग है। ब्राह्मणीय हिंदुत्वा फासीवादी केंद्र सरकार भाजपा नेतृत्व में ''नव भारत'' के निर्माण में कार्य सिद्ध हैं। यह कानून के तहत गंभिर संकट सिर्फ आदिवासी जनता पर नही, पर देश के प्राकृतिक संपत्ति और सारे उत्पीड़ित वर्गों पर मण्ड़रा रहा है। यह समय में सारे क्रांतिकारियों, लोक तांत्रिक, आदिवासी, मानवाधिकार संगठन, जन समर्थक एनजीयों और व्यक्तियों बढे तादाद मे विरोध करना होगा। केंद्रीय कमेटी सारे उत्पीड़ित वंर्गो और देशभक्त जनता को इस नियम के खिलाफ एक जुठ होकर, और विजय किसान आंदोलन से प्रेरित होकर विरोध करने के लिये आह्वान देती हैं। इस मानसून सत्र में ठोस कार्यक्रम करने के लिए आह्न करती हैं। यह संभव हैं की केंद्र सरकार यह नियम कां आर्डिनेन्स के जरिये लागु करना संभव हैं। 9 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय मूलनिवासी दिवस मे इस नया कानून के खिलाफ मे विरोध प्रदर्शन करने के लिये केंद्रीय कमेटी आह्वान कर्ती है।

अभय
प्रवक्ता
केंद्रीय कमेटी